



2026:AHC:34145

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 19782 सन् 2025

सत्य नारायण चतुर्वेदी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद जी मिश्र, कौशल कुमार पांडे

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल कुमार पांडे और राज्य प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस० के० पाल को सुना।

2. इस न्यायालय ने 14.01.2026 को रिट याचिका पर सुनवाई की और निर्देश मांगे।

3. आज, 28वीं पीएसी बटालियन, इटावा के कमांडेंट के हस्ताक्षर के तहत दिनांकित 13.02.2026 का निर्देश प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 3.12.1991 को कांस्टेबल (एम) के पद पर हुई थी, 17.02.1995 को उसे सहायक जांच अधिकारी (एम) के पद पर पदोन्नत किया गया और उसकी तैनाती इटावा में थी। हालांकि, 15.06.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण इटावा से गौतम बुद्ध नगर करने का आदेश पारित किया गया, हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 1.12.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया था।

5. स्थानांतरण और कार्यभारमुक्ति के आदेश पर प्रश्न उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की है।

6. इस न्यायालय ने 14.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगे हैं।

2

इस मामले को 21.01.2026 को नए सिरे से प्रस्तुत करें।”

7. इसके बाद, 30.01.2026 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांकित 15.06.2025 के स्थानांतरण आदेश और दिनांकित 01.12.2025 के कार्यभारमुक्ति आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्थानांतरण आदेश पर विश्वास करते हुए प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थीगण द्वारा उसे दस दिनों के भीतर कार्यभारमुक्त किया जाना था। हालांकि, साढ़े पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद दिनांकित 01.12.2025 को कार्यभारमुक्ति का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा दिनांकित 07.06.2023 को जारी किए गए शासकीय आदेश का हवाला दिया है।

2. उपर्युक्त शासकीय आदेश के खंड-11 (4) और (5) के अनुसार, आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत घोषित आठ जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उनके स्थान पर नियुक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर लें। इसी प्रकार, 34 जिलों की आकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले 100 ब्लॉकों के सरकारी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उनके स्थान पर नियुक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर लें।

3. यह स्पष्ट नहीं है कि इटावा जिला, जहां याचिकाकर्ता पीएसी की 28 वीं बटालियन में कार्यरत था, भारत सरकार द्वारा घोषित उपर्युक्त आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत आता है या नहीं।

4. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता से इस संबंध में निर्देश लेने का अनुरोध किया जाता है।

5. इस मामले को 16.02.2026 को प्रस्तुत करें।”

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण /कार्यमुक्ति नहीं की जानी चाहिए थी, विशेषकर, तब जब 06.05.2025 के शासकीय आदेश के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्ति की जानी थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया था। इस संबंध में इस न्यायालय के कई निर्णयों का उद्धरण दिया गया है, जिनमें 14.05.2024 को निर्णीत किया गया विशेष अपील संख्या 481 सन् 2024 भी शामिल है।

9. वर्तमान याचिका में स्थानांतरण और कार्यभारमुक्ति आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की

3

गई है।

10. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उक्त स्थिति का खंडन नहीं कर सके; उनके अनुसार, शासकीय आदेश और परिपत्र प्रत्यर्थागण पर बाध्यकारी हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण की तिथि से कार्यमुक्ति तक पर बनाए रखने के लिए कोई आपवादिक कारण नहीं बताए गए हैं। उनका निवेदन है कि आदेश को रद्द किया जाए।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

12. स्पष्टतः, स्थानांतरण आदेश 15.06.2025 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को 01.12.2025 के आदेश के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया था। जब प्रत्यर्थागण के परिपत्रों में यह उल्लेख है कि कार्यमुक्ति 7 दिनों के भीतर की जानी है, तो याचिकाकर्ता को इस संबंध में अवकाश के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं है। अनिर्णित विषय जैसा कि विशेष अनुमति याचिका संख्या 481 सन् 2024 में दिनांक 14.05.2024 को निर्णीत किया गया है।

13. निर्देशों में दिये गये पैरा-3 के अनुसार, यह कहा गया है कि न तो गौतम बुद्ध नगर और न ही इटावा आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं।

14. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

15. प्रत्यर्था संख्या 3, उप पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित विवादित स्थानांतरण आदेश दिनांकित 15.06.2025 और प्रत्यर्था संख्या 4, उप पुलिस महानिरीक्षक,

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कार्मिक मुख्यालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा पारित किए गए परिणामी आदेश दिनांकित 01.12.2025 याचिकाकर्ता से संबंधित सीमा तक रद्द किया जाता है।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"